

## कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/शि०सं०/सम्बद्धता/

३६

/2013-14

दिनांक २७-४-२०१३

कार्यालय ज्ञाप

शासनार्देश सं० ११८७/१५-११-२०१३ शिक्षा अनुभाग-११ लखनऊ दिनांक २६ अप्रैल २०१३ के अनुपालन में मनोहर लाल डिग्री कालेज, उन्नाव को शासन द्वारा सम्यक पिचारोपारान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो दर्शीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१२-१३ से सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- संस्थान द्वारा लगातार प्रामूल एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित भागों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- जिन गानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा समन्वीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्णानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०इ० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- नेशनल बिस्टिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अनिश्चयन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रशिक्षणार्थीयों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिनी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर वाध्यकारी होगा।
- सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत दस्तावेज संकाय सदर्शकों का अनुमोदन संचित, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। सकारा सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समरत प्रमाण पत्रों लघा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु संग्रह, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख रथायी आभिलेख होंगे। जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा रथायी रूप से रखा जायेगा।
- संस्थान द्वारा आपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।
- प्रशनगत संस्था को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक १७ एवं १८ अप्रैल २०१३ के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र २०१२-१३ से ५० चीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०इ० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०.इलाहाबाद

पृष्ठ०/शि०सं०/सम्बद्धता / १००८ - १६ / 2013-14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- सचिव, वेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
- प्रशिक्षण सचिव, उ०प्र०शासन, शिक्षा अनुभाग - ११ लखनऊ।
- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
- शिक्षा निदेशक, वेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, २०/१९३, कालेश्वरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
- संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव।
- सचिव/प्रबन्धक, मनोहर लाल डिग्री कालेज, उन्नाव।
- गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०.इलाहाबाद